राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 634वीं बैठक दिनांक 07/04/2023 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :--

- 1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
- 2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
- 3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
- 4. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
- डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
- 6. श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अक्ष्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

1. प्रकरण क्रमांक 9025/2022 – श्रीमती सुमित्रा ग्रोवर, सिविल लाईन, रेस्ट हाउस के पास, नं. –1, पोस्ट एवं जिला कटनी (म.प्र.) क्षमता विस्तार लाईम स्टोन एवं डोलोमाईट माईन, खसरा नं. 240, 243पार्ट, 239, 242, 182, 246 रकबा 10.01 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता विस्तार लाईम स्टोन एवं डोलोमाइट – 1,00,000 से 3,50,000 टीपीए, ग्राम अमेहटा, तहसील विजयरघौगढ़ जिला कटनी (म.प्र) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आनलाईन प्राप्त यह प्रकरण लाईम स्टोन एवं डोलोमाईट उत्खनन् का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. पी303, पी309,310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, पी317, पी319, पी320, 432, 433, 434, 435, 436 444, 445, 446, 447, 44/8, 451, 452, 457, 458, 459 रकबा 10.01 हेक्टेयर, ग्राम अमेहटा, तहसील विजयरघौगढ़ जिला कटनी (म. प्र) पर स्थित है।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 556वीं दिनांक 02/03/2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 07/04/22 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमती सुमित्रा ग्रोवर के अधिकृत प्रतिनिधी श्री नीरज कुमार अवस्थी और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री संजय सिंह एवं श्री सुशांत गिरधर, मेसर्स अपिलंका साल्यूशन एवं टेक्नोलॉजी प्रा.लि. नोयडा उपिश्यित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश—देशांस के आधार पर खदान शासकीय भूमि पर आवंटित है जिसकी गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है जिसके संदर्भ मे परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कुल 21 पेड़ है जिसमें से कोई भी काटा जाना प्रस्तावित नहीं है । आवंटित खनन् क्षेत्र के पूर्वी क्षेत्र से लगा हुआ पक्का रोड़ निकल रहा है जिसका कुछ भाग आवंटित खनन् क्षेत्र

के अंदर से भी निकल रहा है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह पक्का रोड हमने ही मिनरल इवैक्वेशन हेत् बनाया है तथा इसके दोनो ओर पेड़ लगाये जाना प्रस्तावित है । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन् क्षेत्र के दक्षिण-पूर्वी दिशा में 150 मीटर पर आबादी है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि मिनरल कंसेशन रूल 2016 के अनुसार आबादी से 50 मीटर की न्यूतम दूरी होना चाहिए । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रकरण क्षमता विस्तार का है इसलिए एम.ओ.ई.एफ से कंपलाइंस रिपोर्ट उनके पत्र दिनांक 18/10/21 के माध्यम से प्राप्त की गई जिसमें कोई भी नॉन कंपलाइंस रिपोटिड नही है । परियोजना प्रस्तावक ने यह भी बताया कि हाईड्रो-जियोलॉजीकल स्टडी कराई गई है जिसका सरांश प्रस्तुतीकरण के साथ संलग्न है तथा वर्तमान में वर्किंग के दौरान ग्राऊंड वॉटर इंटर सेक्शन नहीं हुआ है । इस खदान की जनसुनवाई के दौरान वृक्षारोपण, वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल छिडकाव, गांव के लिये पीने का पानी, स्वास्थय परीक्षण, शिक्षा एवं गांव विकास में सहयोग इत्यादि सुझाव / प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि इनको ई.एम.पी. / सीईआर में समुचित बजट के साथ शामिल किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर लगातार जल छिड़काव किया जायेगा । प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्ती का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता लाईम स्टोन एवं डोलोमाइट 1,00,000 से 3,50,000 टन प्रति वर्ष।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 21.47 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 13.90 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 03.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

S. No	Particular	Activities	Cost
1.	Education	Salary to one teacher in sharamdham school -36,000/-	50000
		Support in education of poor children- 14,000	
2.	Health	 Organizing health in camp in nearby village once in a year - 50,000/- Aid for medical equipments to Govt . Hospital once in a year -25,000 Aid to poor people in medical emergency - 50000 	1,25,000
3.	Water Supply	Drinking Water Supply to Poor People in Summer Season	50000
4.	Aid to poor	 Financial Aid in religious festival organization- 25000 Financial aid in poor girl marriage - 50000 	75000
Total			3,00,000/
			annum

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम वृक्षारोपण :–

	·		1 ~ .	· ~ .
Period	Zones	Plantation	Current	Species
		Schedule as	Status	
		per Previous		
		EC		
PLANTATION	AS PER PREVIOUS EC			
	Plantation in Backfilled Area			
	(Nos/area in sqm)			
	Green Belt in Barrier Zone	1100		Plantation carried out as per previous
				EC
	Green Belt along	900		Plantation carried out as per previous
	Transportation Road			EC
	TOTAL	2000		
PROPOSED P	LANTATION SCHEME FOR E	XPANSION	<u> </u>	
	Barrier Zone		7000	Chirol, Khamar, Neem, Karanj, Kachnar, Anola etc.
	Plantation in Backfilled Area		6500	Chirol, Khamar, Neem, Karanj, Kachnar, Anola etc.
	Plantation in Neel Kantheshwar Bhakti Dham	Nil	600	Aam, Kathal, Karanj, Kadamb etc
	Total		14,100	
Grand Total Pla	ntation throughout the mine life	2000	14,100	16,100

2. प्रकरण क्रमांक 9021/2022 – श्रीमती मंजू सिंह, पुष्पराज कॉलोनी, आंध्रा बैक के सामने, गली न. 1, पोस्ट एवं जिला सतना (म.प्र.) लाईम स्टोन एवं रिजेक्ट स्टोन माईन, खसरा नं. 1016, 1017/1-2पी, 1026पी, 1027पी, 1028पी, 1030 रकबा 08.094 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता लाईम स्टोन एवं रिजेक्ट स्टोन- 3,00,000 टीपीए, ग्राम बठिया, तहसील मैहर जिला सतना (म.प्र) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आन लाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन् का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 1016, 1017 / 1—2पी, 1026पी, 1027पी, 1028पी, 1030 रकबा 8.094 हेक्टेयर, ग्राम बठिया, तहसील मैहर जिला सतना (म.प्र) पर स्थित है।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 556वीं दिनांक 02 / 03 / 2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल

द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 07 / 04 / 22 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमती मंजू सिंह के अधिकृत प्रतिनिधि श्री अनिल कुमार और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री संजय सिंह, मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्यूशन, नोएड (उ.प्र.) उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश—देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान में उत्तर-पश्चिम दिशा में 60 मीटर की दूरी पर कच्चा रोड़ है तथा कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि 02 पेड़ लगे है जिसमें से 01 पेड़ काटा जायेगा तथा उसके एवज़ में 14 अतिरिक्त पेड लगाये जा चूके है । खदान की पश्चिम दिशा में खदान से लगे हुए एवं खदान के अंदर कुछ मकान दिख रहे है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह पुरानी खदानों के श्रमिकों के मकान है तथा इनसे 50 मीटर का सेट बेक मिनरल कंसेशन रूल 2016 के अनुसार प्रस्तुतीकरण में प्रस्तावित किया गया है तथा इनके चारो ओर सघन वृक्षारोपण प्रस्तावित किया गया है। इस खदान की जनसुनवाई के दौरान वृक्षारोपण, वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल छिडकाव, पंचायत विकास में सहयोग एवं रोड़ का निर्माण इत्यादि सुझाव / प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि इनको ई.एम.पी. / सीईआर में समुचित बजट के साथ शामिल किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बतायां कि खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर लगातार जल छिड़काव किया जायेगा । प्रस्तुतीकरण के समिति ने पाया कि वायु मापन के दौरान पी.एम. 10 की वेल्यू अधिक है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :--

- अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता लाईम स्टोन एवं रिजेक्ट स्टोन—
 3,00,000 टन प्रति वर्ष।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 16.67 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू. 07.20 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 02.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

S. No	Activities	Budget (Rs.)
1	Sustainable Livelihood	
(a)	Provide employment to the 50 local villagers (including direct & indirect form). The payme nt to the workers will be done as per the Minimum Wages Act into the bank accounts preferably.	
(b)	Distribution of solar lamp/ solar cooker in village Bathiya	10000.00
2	Charnoi Land Development	
	Development of 5 ha Charnoi Land of village Bathiya	25000.00
3	Infrastructure Development	
	Construction of boundary wall and maintenance of road.	75,000.00

4	Health	
	Distribution of as sanitization kit (hand sanitizer, hand gloves and nose mask) and training to villagers for precautions needed in pandemic in village Bathiya	15,000.00
	Heath check up camps	60000.00
	Donation of Instruments to PHC Bathia	25000.00
5	Beautification of village Bathiya	
	To develop green belt around Panchayat and school building in village Bathiya	30,000.00
	Total	240000.00

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 9600 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

Plant Species for Mine Area, Transportation Road And Village Distrib				
Phase	Location	Name of Tree/shrub/ Herbs	No. of Plants	
1st year	In barrier Zonewithin lease area	Neem, Jungle Jalebi, Siras Kala, Karanj, Chirol, Khamer, Sissoo, and other local species	1200	
1st year	Along transport route (abive 01 meter high)	Neem, Peepal, Siras Kala, Karanj, Chirol, Khamer, Sissoo, and other local species	600	
4th to CP	Backfilled Area	Siras Kala, Siras Safed, Karanj, Chirol, Kh amer, Sissoo, and other local species	3200	
Within 2 years period	50 meter of Non Mineable area in west facing labour hutment	Neem, Peepal, Siris Kala, Siris Safed, Bargad	1050	
1st year	Plants near Sharda Devi Temple in coordination with forest department	Siras Kala, Siras Safed, Karanj, Chirol, Kh amer, Sissoo, and other local species	3000	
2nd-4th year	Distribution of sapling to local villagers	Guava, Mango, Kathal, Nimbu, Munga and local species	550	
	ality Replacement of trees ill be done till lease perio	s will be done within 2 years maintenance d.	9600	

3. Case No 8919/2022 M/s Yash Logistic Private Limited, 'Yash Tower', Pathak Ward, Dist. Katni, MP - 483501 Prior Environment Clearance for Bauxite Quarry in an area of 20.151 ha. (Bauxite - 9781 Tonne per annum (Khasra No. 156, 159, 160, 161, 162/1, 162/2, 163, 164/1, 164/2, 164/3, 164/4, 165, 166, 167, 168, 169/1, 170, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 186, 187, 189, 234/1, 234/2, 235, 236, 237, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 248, 372, 249), Village - Baghreli Saani, Tehsil - Bajag, Dist. Dindori (MP) . M/s. Creative Enviro Services, Bhopal.

This is case of Bauxite Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 156, 159, 160, 161, 162/1, 162/2, 163, 164/1, 164/2, 164/3, 164/4, 165, 166, 167, 168, 169/1, 170, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 186, 187, 189, 234/1, 234/2, 235, 236, 237, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 248, 372, 249), Village - Baghreli Saani, Tehsil - Bajag, Dist. Dindori (MP) 20.151 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 547वीं दिनांक 09 / 02 / 2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 05 / 11 / 22 को परियोजना प्रस्तावक श्री एन.पी. मिश्रा प्रतिनिधि और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्रेएटिव इंवायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज बॉक्साईट की यह खदान शासकीय एवं निजी भृमि पर आवंटित है जिसका खनन ओपन कास्ट सेमीमेकेनाईज्ड विधि से किया जायेगा, जिसमें ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं हैं । खनन् के दौरान कुल स्वीकृत रकबा 20.151 हे. में से 09.803 हे. रकबा में उत्खनन् किया जायेगा । उत्खनन् पश्चात् 0.888 हे. क्षेत्र में बैकफिलिंग की जायेगी तथा उस पर वृक्षारोपण भी किया जायेगा । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि स्वीकृत रकबा 20.151 हे. नॉन फॉरेस्ट भूमि है जिसमें से 11.618 हे. निजी भूमि तथा 8.533 हे. शासकीय भूमें है । पर्यावरणीय अध्ययन के दौरान शेड्यूल-1 प्रजाति नही पाई गई । प्रस्तुतीकरण में पाया गया कि आवंटित खनन् क्षेत्र के बीच से एक कच्चा रोड़ निकल रहा है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह पगड़ंडी / कच्चा रोड है तथा आवागमन हेत् आवंटित खनन् क्षेत्र के बाहर पश्चिम दिशा में रास्ता उपलब्ध है । यह पगड्ंडी / कच्चा रोड खनन् क्षेत्र में आवागमन का रास्ता होगा तथा इसके दोनो ओर वृक्षारोपण प्रस्तावित किया गया है । इसी प्रकार खनन् क्षेत्र में स्थित कुछ मकानों के बारे में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इनका उपयोग कार्यालय आदि के रूप में किया जायेगा । आवंटित खनन् क्षेत्र के पूर्व एवं उत्तर दिशा में स्थित मकानो के बारे में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इनसे सुरक्षित दूरी (100 मीटर) छोड़कर खनन् कार्य प्रस्तावित किया गया है जिस कारण 20.151 हे. में से मात्र 09.803 हे. क्षेत्र में खनन प्रस्तावि किया गया है तथा इस खनन प्रक्रिया के दौरान ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि

आवंटित खनन् क्षेत्र में 96 पेड लगे है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इनमें से मात्र 01 पेड़ काटा जायेगे तथा उसके एवज् में 10 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेगे । प्रस्तुतीकरण के दौरान सिमित ने पाया कि आवंटित खनन् क्षेंत्र में 11.618 हे. निजी भूमि है जो बेगा जनजाति की है तथा उसे परियोजना प्रस्तावक के अनुसार एग्रिमेंट कर खनन् कार्य हेतु लिया गया है । चूंकि निजी भूमि जनजाति की है अतः उनके पुर्नस्थापन एवं पुर्नवास हेतु क्या योजना प्रस्तावित है कि विस्तृत जानकारी प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक नहीं प्रदान कर सके । अतः सिमित ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया कि वे निम्न बिंदुओ पर जानकारी प्रस्तुत करे :—

- 1. आवंटित खनन् क्षेंत्र में 11.618 हे. जो निजी भूमि है वह कितने आदिवासियों की है उसे खसरा नंबर के हिसाब से तालिका व खसरा मेप पर (भूमि के माप) से दर्शाया जाये ।
- 2. जिन—जिन आदिवासियों की निजी भूमि खनन् कार्य हेतु उपयोग में लाई जानी है उन सभी से किये गये एग्रीमेंट की फोटो प्रति प्रस्तुत की जाये ।
- 3. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने यह बताया था कि लगभग 15.00 एकड़ भूमि किसी एक आदिवासी ने अन्य आदिवासियों से एग्रीमेंट कर खनन् हेतु प्रस्तुत की है । अतः इस एग्रीमेंट का आधार तथा यदि भूमि क्रय कर एग्रीमेंट किया गया है तो उसके विधि अनुरूप दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये ।
- 4. आवंटित खनन् क्षेंत्र में 11.618 हे. निजी भूमि जो आदिवासियों की है को खनन् कार्य में उपयोग करने पर आदिवासी भूमि स्वामी को क्षतिपूर्ति (Compensation) किस नियम से कितना—कितना दिया जायेगा तथा खनन् कार्य पश्चात् किस प्रकार इस निजी भूमि को कृषि कार्य हेतु पुर्नस्थापित (Restore) किया जायेगा, वित्तीय प्रस्ताव ई.एम.पी. में शामिल कर प्रस्तुत करें ।
- 5. आवंटित खनन् क्षेंत्र में 11.618 हे. निजी भूमि का वर्तमान कृषि उत्पाद तथा उसका मूल्य क्या है की जानकारी प्रमाणिक स्त्रोत से प्राप्त कर प्रस्तुत की जाये ।
- 6. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित खनन् क्षेत्र में 96 पेड लगे है जबकि ड्रोन व्हिाडियो ग्राफी से पेडो की संख्या अधिक दिख रही है अतः इसकी पुनः एक बार पुष्टि करा ली जाये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी जमा नहीं करने के कारण प्रकरण सेक की 614वी बैठक दिनांक 23/12/22 को डिलिस्ट करने हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित कर दी गई थी जिसके तारतम्य में प्रकरण सिया के पत्र क्रमांक 2674 दिनांक 30/01/23 के माध्यम से डिलिस्ट किया गया । परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध पर प्रकरण को सिया द्वारा रिलिस्ट कर सेक भेजा गया जिसे आज बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु सूचिबध किया गया ।

आज दिनांक 05/11/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री एन.पी. मिश्रा प्रतिनिधि और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्रेएटिव इंवायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा पत्र दिनांक 10/02/23 के माध्यम से जबाब प्रस्तुत कर दिया गया है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कुल आवंटित क्षेत्र 20.151 हे. में से 17.95 हे. भूमि आदिवासियों की है जिसमें से 16.54 हे. श्री रधुराज सिंह गौड तथा 1.4 हे. श्री राकेश सिंह की है जिनके एग्रीमेंट की प्रति उत्तर के साथ संलग्न की गई है । परियोजना

प्रस्तावक ने बताया कि नियमानुसार रू. 1.00 लाख प्रति एकड़ का मुआवजा दिया जायेगा तथा आवेदित भूमि में ऊगी फसल की कृषि मूल्य के समतुल्य खनन् अविध तक मुआवजा भी दिया जायेगा । समिति ने अनुशंसा है कि उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित मुआवजे का उचित निर्धारण लाभ के आधार पर संबंधित कलेक्टर द्वारा किया जाये या उनकी अभिस्वीकृति प्राप्त की जाये। इस प्रकरण में खनन् मात्र 3.0 मीटर की गहराई तक किया जायेगा । कार्यालय तहसीलदार के पत्र क्रमांक 37 दिनांक 25/01/23 के अनुसार वर्तमान समय में आवंटित भूमि पर कोदू—कुटकी, मक्का तथा तुअर की फसल ली जा रही हैं, आवंटित क्षेत्र में साल, जामुन, हर्रा, आम, साजा इत्यादि के कुल 113 पेड़ लगें है तथा आवंटित क्षेत्र में गौड जनजाति के व्यक्ति निवासरत है बैगा जनजाति के कोई परिवार निवास नहीं करते हैं। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्ती एवं स्टेण्डर्ड शर्ती संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैं :—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता बाक्साईट ९७८। टन प्रति वर्ष।
- 2. पर्योवरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 81.35 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 26.55 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 07.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

Providing infrastructure	One kitchen room with platform, 2 Toilet at Govt.	6.00
support to the Baghreli Sani	primary School, Baghreli sani with facility of water	
Village	through bore well at School. 5KW solar panel with	
	power back-up	
Adaptation of Anganwadi	Adaptation of Anganwadi for 1yr for supply of food	1.00
	Baghreli Sani	
Total		7.00

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियां

4. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख—रखाव के साथ) निम्नानुसार वृक्षों का वृक्षारोपण :—

Species of	Species of Plants for Mine Area, Transportation road and its Boundary					
Phase	Location	Name of Tree	No. of Plants			
1 st year	In barrier zone	Katang bans, Karanj, Pipal, Khamer, Neem, Sissoo, and other local species	2000			
2 nd year	In barrier zone	Katang bans, Karanj, Pipal, Khamer, Neem, Sissoo,	2000			

		and other local species	
6 th to CP	backfilled area	Katang bans, Karanj, Pipal, Khamer, Neem, Sissoo, and other local species	21400
		Total	25400
1 st year to 2 nd year	Along the transport route (2000m) 2.5m distance with 1m height	Arjun, Khamar, Neem, Gular, Kadamb, Sisoo, Karanj, Pipal, and other local species	1600 (150 already planted)
1 st year	For village distribution	Neem, Mango, Guava, Imli, Awala, Bel, Munga, Mahua and other local species	2000

4. Case No 9796/2023 M/s PHOENIX MINING AND MINERALS, Partner, Shri Pradeep Kumar Joardar, 168, Chopra Colony, Saray Mohalla, Maihar (MP) Prior Environment Clearance for Stone (Gitti) - in an area of 4.717 ha. 99750 Tons per Annum (TPA) at Khasra No. 965/2, 947, 966/2, 967/2 (Private) Village Bathia, Tehsil-Maihar, District- Satna (M.P.)

This is case of Stone (Gitti). The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site Khasra No. 965/2, 947, 966/2, 967/2 (Private) Village Bathia, Tehsil- Maihar, District- Satna (M.P.) 4.717 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 07/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री प्रदीप कुमार जोरदार (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संजय सिंह, मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्यूशन, नोएड (उ.प्र.)उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1867 दिनांक 31/10/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 08 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान निजी भूमि पर आवंटित है जिसका कुछ भाग खुदा हुआ है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह काफी पुराना पिट है जो गूगल इमेज अनुसार 2009 के पूर्व का है तथा हमको खदान् जुलाई 2022 में आवंटित हुई है तथा अनुमोदित खनन् योजना में पिट दिखाया गया है । आवंटित खनन् क्षेत्र के उत्तर दिशा में 100 मीटर, पश्चिम दिशा में 85 मीटर की दूरी पर रोड़ तथा पश्चिम दिशा में

600 मीटर की दूरी पर आबादी है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये । कार्यालय कलेकटर (खनिज शाखा) जिला सतना के पत्र क्रमांक 1862 दिनांक 31/10/2022 के द्वारा सूचित किया गया है कि जिला डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट वर्ष 2022—23 में बनी है, जिसमें गाम बिटया शामिल है चूिक नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान के विवरण दर्ज नहीं है अतः अनुमोदित खनन् योजना में दिये गये अक्षांश—देशांस के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया । उपरोक्त उत्खिनपट्टा में सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण (उत्खिनपट्टा संचालन) हो जाने उपरांत नवीन डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट में स्वीकृत उत्खिनपट्टा को शामिल किया जावेगा । चूिक नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान के विवरण दर्ज नहीं है अतः अनुमोदित खनन् योजना में दिये गये अक्षांश—देशांस के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया । प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान सिनित ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में सिनित इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेकजर—डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की सिनित अनुशंसा करती है :—

- 1. आवंटित खनन् क्षेत्र के उत्तर दिशा में 100 मीटर, पिश्चम दिशा में 85 मीटर की दूरी पर रोड़ तथा पिश्चम दिशा में 600 मीटर की दूरी पर आबादी है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये ।
- 2. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- यदि भू—जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
- 4. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 5. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
- 6. कार्यालय कलेकटर (खनिज शाखा) जिला सतना के पत्र क्रमांक 1862 दिनांक 31/10/2022 के द्वारा सूचित किया गया है कि जिला डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट वर्ष 2022–23 में बनी है, जिसमें गाम बिठया शामिल है । उपरोक्त उत्खिनपट्टा में सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण (उत्खिनपट्टा संचालन) हो जाने उपरांत नवीन डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट में स्वीकृत उत्खिनपट्टा को शामिल किया जावेगा अतः ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो प्रस्तुत की जाये।

5. Case No 9790/2023 M/s Kamakhya Minerals, Owner, Shri Satish Singh Yadav, R/o 25, A, Bapunagar, Sethi, District- Chhittorgarh (RJ)-312001, Prior Environment Clearance for Ghasoli Laterite Mine in an area of 4.00 ha. (25,515 TPA) (Khasra No. 2011, 2012, 2032, 2033 Private) Village-Ghasoli, Tehsil-Suwasara, District-Mandsaur (MP)

This is case of Laterite Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 2011, 2012, 2032, 2033 Private) Village-Ghasoli, Tehsil-Suwasara, District-Mandsaur (MP) 4.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 06/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सतीश सिंह यादव (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, (उ.प्र.) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) का एकल-प्रमाण पत्र कमांक 82 दिनांक 10/01/23 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान निजी भूमि पर आवंटित है जिसके दक्षिण दिशा में 300 मीटर पर एक मकान, पश्चिम दिशा में 150 मीटर की दूरी पर निर्माणाधीन सड़क, आवंटित खनन् क्षेत्र के कुछ भाग में तथा आस-पास के क्षेत्र में ट्रेचेज तथा पेड़ लगे है । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि 07 पेड़ लगे है . जिसमें से 04 काटे जायेगे तथा उनके एवज् में 40 अतिरिक्त वृक्षारोपण किया जायेगा । परियोजना प्रस्तावक ने यह भी बताया कि प्रकरण लेटराईट के खनन् का होने के कारण ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) ने पत्र क्रमांक 472 दिनांक 13/02/23 के द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त उत्खिनेपट्टा में संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण (उत्खिनिपट्टा संचालन) हो जाने के उपरांत नवीन डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट में उक्त खदान सम्मिलित कर ली जावेगी । चूकि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान के विवरण दर्ज नही है अतः अनुमोदित खनन् योजना में दिये गये अक्षांश-देशांस के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261 / 2022 - जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04 / 08 / 22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये । परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के 500 मीटर की परिधि के अंदर दक्षिण दिशा में एक अन्य खदान कार्यरत दिख रही है जबिक कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) का एकल-प्रमाण पत्र क्रमांक 82 दिनांक 10/01/23 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत / संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक बताया कि दूसरी खदान स्वाईल क्वरी है जो समीप में निर्माणाधीन रोड़ हेतु स्वीकृत की गई है तथा हमारी खदान लेटराईट की नॉन

होमोजीनियस होने के कारण इसको एकल प्रमाण पत्र में नही दर्शाया गया है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता लेटराईट 25,515 टीपीए मी³ प्रति वर्ष।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 15.50. लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 04.73 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर.	राशि (रू.में)
ग्राम घसोई के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मेंडिकल ऑफिसर के सलाह के अनुसार सामग्री का वितरण किया जावेगा ।	80,000 / —

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 4840 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
1.	बैरियर जोन	शीशम, नीम, खमेर, चिरोल, सीताफल, करंज बेल, कटहल, आम, अमरूद एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	900
2.	परिवहन मार्ग के दोनों तरफ (पेड़ों की न्यूतम ऊंचाई 0 1 मीटर)	नीम, पीपल, सेमल, चिरौल, करंज, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ,	200
3.	घसोई ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरूद	3700
4.	शासकीय विद्यालय घसोई, में	कदंब, अमलतास, अशोक, नीम, गुलमोहर इत्यादि।	50
		योग	4840

6. <u>Case No 9794/2023 Shri Relam, R/o Village-Sevariya, Post-Kanwada, Tehsil-Jobat, District-Alirajpur (MP)-457990, Prior Environment Clearance for Chak Ubrasi Stone & M-Sand Mine in an area of 4.250 ha. (Stone – 1,85,000 Cum/Year and M-Sand – 15,000 Cum/Year) (Khasra No. 3, 4, 21) Village-Chak Ubrasi, Tehsil-Dabra, District-Gwalior (MP)</u>

This is case of Stone & M-Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 3, 4, 21) Village-Chak Ubrasi, Tehsil-Dabra, District-Gwalior (MP) 4.250 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 07/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री रेलम (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, (उ.प्र.) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) का एकल—प्रमाण पत्र कमांक 462 दिनांक 06/03/23 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान शासकीय भूमि पर आवंदित जिसके दक्षिण दिशा में 580 मीटर पर आबादी, पश्चिम दिशा में 05 मीटर पर कच्चा रोड, पूर्वी दिशा में 110 मीटर पर पक्का रोड़ तथा संपूर्ण आवंदित खनन् क्षेत्र पेड़ों से अच्छादित हैं । कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) ने पत्र क्रमांक 462 दिनांक 06/03/23 के द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त उत्खनिपट्टा में संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण (उत्खनिपट्टा संचालन) हो जाने के उपरांत नवीन डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट में उक्त खदान सम्मिलित कर ली जावेगी । चूकि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान के विवरण दर्ज नहीं है अतः अनुमोदित खनन् योजना में दिये गये अक्षांश—देशांस के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 — जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के 500 मीटर की परिधि के अंदर दक्षिण दिशा में एक अन्य खदान कार्यरत दिख रही है जबिक कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) का एकल—प्रमाण पत्र क्रमांक 462 दिनांक 06/03/23 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नही होने की जानकारी दी गई है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित खनन् क्षेत्र के समीप ही एक रोड का निर्माण होने के कारण लगातार उत्खनन् कार्य हो रहा है । समिति ने पाया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा जारी एकल—प्रमाण पत्र क्रमांक 462 दिनांक 06/03/23 में यह विवरण दर्ज नही है अतः यह जानकारी सिया के माध्यम से संबंधित कलेक्टर के संज्ञान में लाई जाये ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन् क्षेत्र में कई पेड़ लगे है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह झाडियाँ है तथा आवंटित खनन् क्षेत्र के पश्चिम क्षेत्र में अधिकांशतः उगी हुई है । अतः समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित की वे खनन् क्षेत्र में स्थित पेडो की इंवेन्ट्री (उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ) मय ड्रोन फोटोग्राफी / व्हीडियो ग्राफी प्रस्तुत करे ।

7. Case No 9760/2023 M/s Shri Radhe Shyam Infrastructure, Partner Shri Devendra Kumar Rai, R/o Block-52, Shyam Nagar, District-Damoh (MP)-470661, Prior Environment Clearance for Padri Crusher Stone & M-Sand Quarry in an area of 1.80 ha. (Stone-15318 & M-Sand-4968 Cum per annum) (Khasra No. 40/3/1(s), 40/8(s), 40/4 (s), (Private) Village-Padri, Tehsil-Patera, District-Damoh (MP)

This is case of Stone & M-Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 40/3/1(s), 40/8(s), 40/4 (s), Village-Padri, Tehsil-Patera, District-Damoh (MP) 1.80 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 07/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री देवेन्द्र कुमार राय (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) का एकल—प्रमाण पत्र कमांक 74 दिनांक 24/01/23 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, इस प्रकार कुल रकबा 5.0 हे. कम होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान निजी भूमि पर आवंटित है, जिसके दक्षिण दिशा में 35 मीटर पर कच्चा रोड़ तथा 250 मीटर पर पक्का रोड़, पश्चिम दिशा में 290 मीटर, पूर्व दिशा में 255 मीटर पर आबादी तथा पूर्व दिशा में 370 मीटर पर नदी है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कच्चे रोड़ के कारण दक्षिण दिशा में 15 मीटर का सेट बेक प्रस्तुतीकरण में प्रस्तावित किया गया है । परियोजना प्रस्तावक ने यह भी बताया कि वर्ष 2014 में इस स्थल पर बंसल कंपनी का हॉटमिक्स का डामर प्लॉट भी स्थापित थी जिसे अब हटा लिया गया है। प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्ता का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। परियोजना प्रस्तावक ने यह उल्लेख किया है कि अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—40 पर इस खदान का विवरण दर्ज है किंतु अक्षांश—देशांस नहीं है अतः अनुमोदित खनन् योजना में दिये गये अक्षांश—देशांस के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 — जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के

दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से सिमिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन—15,318 मी³ प्रति वर्ष एवं एम. सेंड—4968 मी³ प्रति वर्ष ।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 09.86 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू. 01.25 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

	ग्राम		सी. ई. आर. मद मे प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु. में
प्राथमिक कुम्हारी	स्वास्थ्य	केंद्र	1 वाटर कूलर प्यूरीफायर के साथ	50,000/-
पुरम्हारा			5 वेल्टन हेल्थकेयर व्हीलचेयर	30,000/-
			2AS मेडिस्टील ASM-1053 स्टेनलेस स्टील स्ट्रेचर ट्रॉली के साथ	20,000/-
			5 – वेल्टन हेल्थकेयर अस्पताल सेमी फाउलर बिस्तर	50,000/-
[योग	1,50,000/-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2200 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
1.	बैरियर जोन	आम, अमरूद, जामुन, कटहल, मुनगा, सीताफल, एवं केतकी के बीज बोना, अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियां व फेसिंग कर अगेव अमेरिकाना के स्लिप्स लगाये जायेगे ।	200
2.	परिवहन मार्ग के दोनों तरफ (पेड़ों की न्यूतम ऊंचाई 01 मीटर)	करंज, कदम , चिरोल, जंगल जलेबी , एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	500
3.	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आवलाँ,अमरुद, मुनगा, पपीता, निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1200
4.	स्कूल में बॉउंड्री के अंदर चारो तरफ लगाय जायेंगे		200
5.	आंगन बाड़ी में बॉउंड्री के अंदर चारो तरफ लगाय जायेंगे		100
		योग	2200

8. Case No 9795/2023 M/s. Shri Mahalaxmi Mines and Minerals (P) Ltd., Partner, Shri P.K. Mittal, R/o 11-12, Dun Market, Jabalpur Road, Bargawan, District-Katni, 483501 (M. P.), Prior Environment Clearance for Chilhari Laterite Quarry in an area of 10.415 ha. (1,34,240 TPA) (Khasra No. 197/1ग, 197/2, 198/1, 199, 225, 226, 227/1क, 227/1ख, 228/2, 229, 231, 234/2, 237/2 Private) Village-Chilhari, Tehsil-Manapur, District-Umaria (MP)

This is case of Laterite Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 197/1ग, 197/2, 198/1, 199, 225, 226, 227/1क, 227/1ब, 228/2, 229, 231, 234/2, 237/2 Private) Village-Chilhari, Tehsil-Manapur, District-Umaria (MP) 10.415 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 07/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री प्रदीप कुमार जोरदार (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, (उ.प्र.) उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र कमांक 216 दिनांक 03/02/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन खदान 5.0 हे. से अधिक होने के कारण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान निजी भूमि पर आवंटित है जिसके बीच से एक कच्चा रोड़ निकल रहा है तथा दिक्षण दिशा में लगभग 350 मीटर पर आबादी है, अतः परियोजना प्रस्तावक इसके संरक्षण की योजना ईआईए के साथ प्रस्तुत करें । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन् क्षेत्र पहाड़ पर स्थित है जिसमें कई पेड़ लगे है । अतः परियोजना प्रस्तावक खनन् क्षेत्र में स्थित पेडो की इंवेन्ट्री मय ड्रोन फोटोग्राफी / व्हीडियो ग्राफी ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करे तथा वृक्षारोपण योजना में स्थानीय वृक्षों के द्वारा रि—डेंसिफिकेशन का प्रस्ताव प्रस्तुत करे । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज कमांक 55 के सरल कमांक 6 पर दर्ज है । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में सिमित इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर—डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ. आर. जारी करने की सिमित अनुशंसा करती है :—

- 1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान निजी भूमि पर आवंटित है जिसके बीच से एक कच्चा रोड़ निकल रहा है तथा दक्षिण दिशा में लगभग 350 मीटर पर आबादी है, अतः परियोजना प्रस्तावक इसके संरक्षण की योजना ईआईए के साथ प्रस्तुत करें ।
- 2. आवंटित खनन् क्षेत्र पहाड़ पर स्थित है जिसमें कई पेड़ लगे है । अतः परियोजना प्रस्तावक खनन् क्षेत्र में स्थित पेडो की इंवेन्ट्री मय ड्रोन फोटोग्राफी /व्हीडियो ग्राफी तथा ईकोलॉजीकल

सर्विसिस एवं ईकोलॉजीकल लॉस असेसमेंट का अध्ययन कर रिपोर्ट ईआईए के साथ प्रस्तुत करे तथा वृक्षारोपण योजना में स्थानीय वृक्षो के द्वारा रि—डेंसिफिकेशन का प्रस्ताव गेमप्रूफ फेंसिंग के साथ ईआईए रिपोर्ट में प्रस्तुत करे ।

- 3. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 4. यदि भू—जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
- 5. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 6. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
- 7. परियोजना प्रस्तावक अपनी वेबसाइट बनाये, जिसमें ई.सी. प्राप्ति के पश्चात् पर्यावरणीय प्रबधंन योजना तथा वृक्षारोपण इत्यादि के संदर्भ में की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन उसमें अपलोड करेंगा। परियोजना प्रस्तावक वेबसाइट बनाये जाने संबंधी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट साथ प्रस्तुत करें।

9. <u>Case No 9783/2023 Shri Pritam Chauhan, Lease Owner, R/o Village-Birauli, Post-Karakheda, District-Shivpuri (MP)-473995, Prior Environment Clearance for Flagstone Quarry in an area of 3.00 ha. (5040 Cum per annum) (Khasra No. 417 Private) Village-Hurri, Tehsil-Khaniyadhana, District-Shivpuri (MP)</u>

This is case of Flagstone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 417 Private) Village-Hurri, Tehsil-Khaniyadhana, District-Shivpuri (MP) 3.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 07/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री प्रीतम चौहान (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, (उ.प्र.) उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र कमांक 1655 दिनांक 06/12/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अत: प्रश्नाधीन प्रकरण बी—1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान निजी भूमि पर आवंटित है, जिसके पिश्चम दिशा में 120 मीटर पर आबादी, पूर्व दिशा में 210 मीटर तथा दिक्षण दिशा में 365 मीटर पर पक्का रोड़ तथा पूर्व दिशा में 335 मीटर पर नदी है । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन् वृक्षों से अच्छादित है, अतः पिरयोजना प्रस्तावक खनन् क्षेत्र में स्थित पेडो की इंवेन्ट्री मय ड्रोन फोटोग्राफी / व्हीडियो ग्राफी ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करे ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रकरण फ्लैग स्टोन के खनन् का होने के कारण ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है । कार्यालय कलेक्टर के पत्र क्रमांक 299 दिनांक 06/03/23 के द्वारा अवगत कराया गया है कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अद्यतन किया गया है। चूंकि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान के विवरण दर्ज नहीं है अतः अनुमोदित खनन् योजना में दिये गये अक्षांश—देशांस के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया तथा परियोजना प्रस्तावक ईआईए रिपोर्ट के साथ जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो प्रस्तुत करेंगे । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर—डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :—

- 1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान निजी भूमि पर आवंटित है, जिसके पश्चिम दिशा में 120 मीटर पर आबादी, पूर्व दिशा में 210 मीटर तथा दक्षिण दिशा में 365 मीटर पर पक्का रोड़ तथा पूर्व दिशा में 335 मीटर पर नदी है ।
- 2. प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन् वृक्षों से अच्छादित है, अतः परियोजना प्रस्तावक खनन् क्षेत्र में स्थित पेडो की इंवेन्ट्री (उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ) मय ड्रोन फोटोग्राफी / व्हीडियो ग्राफी ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करे ।
- 3. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर ग 01 मीटर ग 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
- 4. यदि भू—जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
- 5. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 6. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
- 7. ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो प्रस्तुत की जाये।

10. Case No 9780/2023 Shri Mayur Dubey, M/s Agro Phos (India) Limited (APIL), M-87, Trade Centre, 18 South Tukoganj, District-Indore (M.P.)-455001, Prior Environment Clearance for proposed expansion of Fertilizer Plant Plot No. 13A/2, Industrial Area No. 1, A.B. Road, District-Dewas (M.P.)-455001

This is case of Prior Environment Clearance for proposed expansion of Fertilizer Plant for M/s Agro Phos (India) Limited (APIL), Dewas at Plot No. 13A/2, Industrial Area No. 1, A.B. Road, District-Dewas (M.P.)-455001.

The case was presented by PP Mr. Mayur Dubey, Plant Manager and their environmental consultant Ms. Khushbu Thakur, M/s Gaurang Environmental Solutions Pvt. Ltd., Jaipur.

APIL has an existing fertilizer manufacturing plant located at Plot No. 13A/2, Industrial Area No. 1, A.B. Road, Dewas, Madhya Pradesh-455001. The unit is involved in manufacturing of NPK/Mixed Fertilizer, Single Super Phosphate (Powder/Granules), Zinc Sulphate/Other Sulphate & Organic Fertilizer N-Rich. Plant has valid consent to operate granted by MPPCB vide Consent no. AW-55923 valid upto 31.01.2025. Existing plant is established over a plot area of 9630 sqm.

Foreseeing the market demand of SSP/GSSP fertilizers, company has proposed to expand the production capacity of SSP/GSSP (Powder) within the existing premises as follows:-

Name of Product	Production Capacity (MTPA)			
Name of Product	Existing	Proposed	Total after Expansion	
NPK (Mixture Fertilizer)	15,000	0	15,000	
Single Super Phosphate (Powder/Granules)	45,000	30,000	75,000	
Zinc Sulphate/Other Sulphate	3,000	0	3,000	
Organic Fertilizer N-Rich	10,000	0	10,000	

During presentation PP submitted that proposed expansion is located in industrial area Dewas and the validity of consultant is extended up to July, 23. After presentation, committee decided to recommend standard TOR prescribed by MoEF&CC with following additional TOR and as per Annexure-D:

- Being expansion, certified compliance report of previous EC conditions from the competent authority shall be submitted and if previously EC is not obtained justified reason with credible proof shall be submitted with EIA report.
- Detailed plant layout on A3 size map.
- PP has claimed that data collection has started since December, 2022 to February, 2023 but no details are provided in the online forms such as monitoring locations and summary of base line data hence reason with credible proof shall be submitted with EIA report.
- Carbon foot print analysis for existing production and proposed production shall be studied and discussed in EIA report.
- All process details with mass balance shall be discussed in the EIA report.
- Land use pattern obtained from competent authority shall be discussed in EIA report.

- Control measures for air emissions such as Fluorine, HF and particulate emission from boiler shall be discussed in EIA report. PP shall explore the possibility of providing clean fuel in the boiler.
- How project will become "Zero Liquid Discharge" shall be discussed in the EIA report with complete details of treatment scheme, their various details and odour nuisance wrt to scrubbing waste and domestic effluent.
- Provision for compatible storage of raw materials and finish products shall be studied and discussed in the EIA report.
- Worst case scenario w.r.t. waste water and wastes should be submitted.
- All MSDS should be provided with the EIA report.
- Total quantity of H2SO4 (98%) required for proposed expansion and how storage of acid is proposed shall be discussed in EIA report.
- MSDS of all hazardous materials shall be annexed with EIA report.
- Disposal of solid and hazardous wastes shall be discussed in the EIA report.

11. Case No 9786/2023 M/s S.R. Minerals, Partner, Smt. Neelam Sharma R/o Flat No. 303, Lord Shiva Residency, District-Indore (MP)-456335, Prior Environment Clearance for Dhureri Stone Quarry in an area of 2.368 ha. (50000 Cum per annum) (Khasra No. 51/1/1/1, 50/1 Govt. and Private) Village-Dhureri, Tehsil-Depalpur, District-Indore (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 51/1/1/1, 50/1 **Govt. and Private**) Village-Dhureri, Tehsil-Depalpur, District-Indore (MP) 2.368 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 07/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमती नीलम शर्मा (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 51 दिनांक 12/01/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान शासकीय एवं निजी भूमि पर आवंटित है जिसके पूर्वी दिशा में कच्चा रोड़ लगा हुआ है तथा उत्तर दिशा में 320 मीटर की दूरी पर पक्का रोड़ है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन् क्षेत्र खुदा हुआ है तथा उसमें एक केशर स्थापित है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि केशर पुरान है, जिसे हटा दिया जायेगा तथा

खदान पूर्व से खुदी हुई है, जिसका विवरण अनुमोदित खनन् योजना व सरफेस मेप में दिखाया गया है, जिसके संदर्भ में समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया कि इसकी संपूर्ण योजना ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर ने पत्र क्रमांक 51 दिनांक 12/01/23 के द्वारा सूचित किया है कि उपरोक्त खदान के अनुबंध / निष्पादन तथा पंजीयन की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् डी.एस.आर. रिपोर्ट में सम्मिलित किया जावेगा। चूिक नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान के विवरण दर्ज नहीं है अतः अनुमोदित खनन् योजना में दिये गये अक्षांश—देशांस के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया। प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तों का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर—डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:—

- खदान के पूर्वी दिशा में कच्चा रोड़ लगा हुआ है तथा उत्तर दिशा में 320 मीटर की दूरी पर पक्का रोड़ है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये।
- 2. आवंटित खनन् क्षेत्र खुदा हुआ है तथा उसमें एक क्रेशर स्थापित है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि क्रेशर पुरान है, जिसे हटा दिया जायेगा तथा खदान पूर्व से खुदी हुई है, जिसका विवरण अनुमोदित खनन् योजना व सरफेस मेप में दिखाया गया है, जिसके संदर्भ में सिमिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया कि इसकी संपूर्ण योजना ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
- 3. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 4. यदि भू—जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
- 5. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 6. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
- 7. ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो प्रस्तुत की जाये।
- 8. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 9. परियोजना प्रस्तावक अपनी वेबसाइट बनाये, जिसमें ई.सी. प्राप्ति के पश्चात् पर्यावरणीय प्रबंधन योजना तथा वृक्षारोपण इत्यादि के संदर्भ में की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन उसमें अपलोड करेंगा। परियोजना प्रस्तावक वेबसाइट बनाये जाने संबंधी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट साथ प्रस्तुत करें।

12. Case No 9770/2023 Shri Sukumar Kaliyaperumal, GM, M/s Standard Surfacts NTS Ltd., 8/15, Arya Nagar, Kanpur (UP)-208002 Prior Environment Clearance for Capacity expansion of 44490 TPA (Existing 12250 TPA and proposed 32240 TPA) and diversification in manufacturing of Sulfonated Product at Plot No. 24A, Mandideep Industrial Area, Tehsil-Gauharganj, District-Raisen (MP)

This is case of Prior Environment Clearance for Capacity expansion of 44490 TPA (Existing 12250 TPA and proposed 32240 TPA) and diversification in manufacturing of Sulfonated Product at Plot No. 24A, Mandideep Industrial Area, Tehsil-Gauharganj, District-Raisen (MP).

The case was presented by PP Mr. Sukumar Kaliyaperumal, GM and their environmental consultant Mr. Umesh Mishra, M/s CSE, Bhopal. During presentation, PP submitted that:

- ✓ The project is located over the land which comes under the notified industrial area of Mandideep and lies between latitude 23°4'53.12"N- 77°31'15.62"E to 23°4'58.21"N- 77°31'20.95"E. The project is located over Plot No. 24 A Mandideep Industrial Area, Tehsil- Gauharganj, Dist- Raisen, and Madhya Pradesh. The site is well connected with Bhopal -Betul Road which is about 0.50km from the project site.
- ✓ The nearest railway station is Mandideep which is 1.50 km from the site. Nearest Airport Bhopal; About 29.75 km. The site is already under possession of M/s SSL.
- ✓ Existing premises has sufficient land i.e. 11891.59 sqmt and no additional land is required. The site is located in the Industrial Area
- ✓ The project involves the production of various types of sulfonated products with proposed expanded capacity of 44490 TPA (Existing 12250 TPA and proposed 32240 TPA).
- ✓ The Manufacturing area involves Multi Tube Reactor, Annual Falling Film reactor, Neutralization Skid, Hydrolyzer, Agitated Thin Film Dryer, Filters, Air Drying Plant, Spray Dryer Plant (750 Kg/hr water evaporation rate), Raw material transfer pumps, Product transfer pumps, Tanks (250,150,100,50,30kl), Boiler, Cooling Tower, Waste Heat Boiler,
- ✓ Air Pollution Control Devices, ETP, and RO etc., Facilities like administrative office, parking and greenbelt/plantation also are also available and being further developed for proposed expansion.

After presentation, committee decided to recommend standard TOR prescribed by MoEF&CC with following additional TOR and as per Annexure-D:

- 1. Being expansion, certified compliance report of previous EC conditions/consent conditions from the competent authority shall be submitted.
- 2. PP should provide entire product mix in the EIA report.
- 3. Worst case scenario study to be carried out with respect to Air, Water, Soil and Hazardous Wastes environment and the mitigation measures to be proposed accordingly.
- 4. Inventory of all the raw material with mass balance of each of the chemicals being used or proposed to be used.
- 5. Detailed plantation scheme essentially incorporating thick peripheral plantation to be furnished along with mapping of green areas on a lay-out map and details of existing plantation.
- 6. In PFR the area of existing green belt is shown as 4605 Sq. Mtr and mentioned that for expansion the green belt will remain the same which is not acceptable. For roughly 2times expansion, proportionate green belt shall also be developed either within the plant (In-situ re-densification) or in the IA for which as detailed scheme shall be discussed in the EIA report.
- 7. The assessment of ecological services and eclological loss shall be carriedout and report be submitted with EIA report.
- 8. Inventory of all types of hazardous wastes expected from the industry with handling and management plan to be presented.
- 9. Carbon foot print analysis for existing production and proposed production shall be studied and discussed in EIA report.
- 10. Plan for prevention of waste water percolation into the ground water to be submitted along with the plan of handling in case of spillage of any chemicals.
- 11. Management, Handling and Disposal plan of fly-ash to be discussed in EIA report with documentary evidences of present disposal practices adopted for fly ash disposal.
- 12. Proposed safety measures for LABSA plant.
- 13. Details of solvents and their recovery plan should be discussed in the EIA report.
- 14. VOC should be monitored in the AAQ.
- 15. Latest MSDS data with compliance plan to be furnished for all the raw material / finished products with their storage plan.
- 16. Inventory of existing trees.
- 17. Detailed plant layout on A3 size map.
- 18. All process details with mass balance shall be discussed in the EIA report.
- 19. Land use pattern obtained from competent authority shall be discussed in EIA report.
- 20. Product-wise Water balance along with the overall water balance to be worked out & presented so as to achieve 'Zero liquid discharge' from the unit with

- complete details of waste water treatment scheme including scrubbing & reactor waste, Acid mist and domestic effluent.
- 21. It shall also be disused in the EIA report that in case of accidental discharge of effluent what will be the protective measures adopted by industry to avoid its confluence in Ganga Basin through Betwa River.
- 22. Provision for compatible storage of raw materials and finish products shall be studied and discussed in the EIA report.
- 23. PP shall explore the possibility for using clean fuel in proposed boiler. If same is not feasible, the explanation with justification shall be discussed in the EIA report.
- 13. Case No 9792/2023 Shri Mangesh Namdev, Owner, R/o E-7/791, Arera Colony, District-Bhopal (MP)-462016, Prior Environment Clearance for Samnapurkalan Stone Quarry in an area of 3.00 ha. (47,310 Cum per annum) (Khasra No. 309, 310/1/3, 310/1/1, 310/1/2 Govt. and Private) Village- Samnapurkalan, Tehsil-Gouharganj, District-Raisen (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 309, 310/1/3, 310/1/1, 310/1/2 Govt. and Private) Village- Samnapurkalan, Tehsil-Gouharganj, District-Raisen (MP) 3.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 07/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री मंगेश नामदेव (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 410 दिनांक 10/03/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 05 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान शासकीय एवं निजी भूमि पर आवंदित है, जिसके उत्तर—पश्चिम दिशा में 270 मीटर पर नदी, दक्षिण दिशा में 290 मीटर पर आबादी तथा दक्षिण—पूर्व दिशा में 550 मीटर पर राष्ट्रीय राजमार्ग है, अतः इनकी संरक्षण योजना ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंदित खनन् खुदा हुआ है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान पूर्व से (2016) खुदी हुई है, जिसका विवरण अनुमोदित खनन् योजना व सरफेस मेप में दिखाया गया है । हमको यह खदान अक्टूबर, 2022 में आवंदित हुई है, अतः हमारे द्वारा यह खनन् कार्य नहीं किया गया है । प्रस्तुतीकरण में पाया गया कि एकल प्रमाण—पत्र अनुसार आवेदित स्थल रातापानी अभ्यारण्य की सीमा ईको सेंसेटिव जोन के बाहर में स्थित है तथा वन मण्डलाधिकारी, औबेदुल्लागंज के पत्र दिनांक 13/08/21 के अनुसार आवेदित क्षेत्र वन सीमा से 12 मीटर की दूरी पर स्थित है, जिस हेतु

संभागीय आयुक्त समिति से अनुमित प्राप्त है । प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड नहीं की गई है, चूिक नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान के विवरण दर्ज नहीं है अतः अनुमोदित खनन् योजना में दिये गये अक्षांश—देशांस के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया । अतः ईआईए रिपोर्ट के साथ जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज है । प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान सिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में सिनित इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर—डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की सिनित अनुशंसा करती है :—

- 1. खदान के उत्तर—पश्चिम दिशा में 270 मीटर पर नदी, दक्षिण दिशा में 290 मीटर पर आबादी तथा दक्षिण—पूर्व दिशा में 550 मीटर पर राष्ट्रीय राजमार्ग है, अतः इनकी संरक्षण योजना ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
- 2. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
- उ. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड नहीं की गई है, चूिक नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान के विवरण दर्ज नहीं है अतः अनुमोदित खनन् योजना में दिये गये अक्षांश—देशांस के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया । अतः ईआईए रिपोर्ट के साथ जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज है ।
- 4. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 5. यदि भू—जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
- 6. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 7. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
- 8. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

14. <u>Case No 9767/2023 Smt. Fooladevee Adiwasi, W/o Pramod Adiwasi, Owner, R/o Village-Navada, Post-Maniya, District-Chhatarpur (MP)-471501 Prior Environment Clearance for Laxmanpura Stone Quarry in an area of 4.674 ha. (50000 Cum per annum) (Khasra No. 171(P) Govt.) Village-Laxmanpura, Tehsil-Lavkushnagar, District-Chhatarpur (MP)</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 171(P) Govt.) Village-Laxmanpura, Tehsil-Lavkushnagar, District-Chhatarpur (MP) 4.674 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 07/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमती फूलादेवी आदिवासी (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पांडा, मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट साल्यूशन इंडिया प्रा.लि., गाजियाबाद (उ.प्र.) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) का एकल—प्रमाण पत्र कमांक 364 दिनांक 13/02/23 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान शासकीय भूमि पर आवंटित है जिसके दक्षिण-पश्चिम दिशा में 150 मीटर पर पक्का रोड़ उत्तर-पश्चिम दिशा में 05 मीटर पर कच्चा रोड़ तथा पूर्व दिशा में 325 मीटर एवं उत्तर दिशा में 205 मीटर पर आबादी है । परियोजना प्रस्तावक ने बतायाँ कि कच्चे रोड़ से 10 मीटर का सेट बेक तथा पक्के रोड से 50 मीटर का सेट बेक प्रस्तुतीकरण में छोडा गया है । आवंटित खनन् क्षेत्र के दक्षिण दिशा में कुछ पेड़ लगे है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कुल 40 पेड़ लगे जिसमें से 10 कार्ट जायेगे तथा उनके एवज में 100 अतिरिक्त लगाये जायेगे / आवंटित वह क्षेत्र जिसमें पेड लगे उनको नॉन माईनिग जोन प्रस्तुतीकरण में दिखाया गया है तथा कोई भी पेड़ नही काटा जायेगा । कार्यालय कलेकटर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के पत्र क्रमांक 129 दिनांक 19/01/2023 के द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त उत्खनिपट्टा खदान स्वीकृत किये जाने हेतुं सैद्धांतिक स्वीकृति दिनांक 31/01/22 को जारी की गई है । जिला छतरपुर की डी.एस.आर. पूर्व में दिनांक 09/05/22 को अनुमोदित की गई है और छतरपुर जिले की अन्य गौण खनिज (रेत को छोड़कर) की डी.एस.आर. को अद्यतन किया जा रहा है । उक्त खदान को अद्यतन डी.एस.आर. में सम्मिलित किया जावेगा । चूकि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान के विवरण दर्ज नहीं है अतः अनुमोदित खनन् योजना में दिये गये अक्षांश-देशांस के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया । समिति ने चर्चो उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29 / 07 / 22 (प्रकरण में 9261 / 2022 - जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04 / 08 / 22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दुष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेत् सियां को अनुशंसित किया जाये । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट

शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन 50,000 मी³ प्रति वर्ष ।
- 2. पर्योवरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 11.66 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 04.11 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 02.33 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

S.no.	CER Activities	Capital Amount in lakh
1	Furniture for government school of nearby village Laxampura	50,000
2	Government PHC Hospital of nearest village Laxampura- IRON Stretcher ABCO- 2 Nos @7699/- Each Wheel Chair (200 kg) Medimove- 5 Nos@5521/- Each Pulse Oximeter Contec- 10 Nos@650/- Each BP Instrument Dr. Morepen- 10 Nos@1100/-Each Bench for Hospital SS Matt 4 Seater- 5 Nos@13500/- Each	1,33,524
3	Eye/Dental awareness camp and health checkup for people and employees of village Laxmanpura	50,000
	Total	2,33,524

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 5500 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
1.	बैरियर जोन	नीम, कचनार, चिरोल, करंज, जंगल जलेबी इत्यादि	1200
2.	परिवहन मार्ग के दोनों तरफ (पेड़ों की न्यूतम ऊंचाई 0 1 मीटर)	पीपल, नीम, पुत्रजीवा, इमली, अमरतास, कचनार आदि	240
3.	ग्राम लक्षमण पूरा के स्कूल, पंचायत एवं आगनवाडी के प्रांगण में	आम, सीताफल, नीम, ड्रमस्टीक, जामुन, पूत्रीनजीवा, इमली आदि	500
4.	लक्षमण पूरा के ग्राम वासियों में पौंधो का वितरण	आम, नीम, ड्रमस्टीक, जामुन, पुत्रजीवा, इमली, सीताफल आदि	3460
5.	खदान क्षेत्र में 30 वृक्ष करधई, 10छूला की झाडियां प्रजाति के है, जिनमें से 10 वृक्ष करधई के सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से काटा जायेगा एवं इसके एवज में 100 अतिरिक्त पौधों का वृक्षारोपण किया जायेगा तथा शेष 30 वृक्षों का संरक्षण किया जायेगा।	करधई, नीम, चिरोल, करंज आदि	100

योग 5500

15. Case No 9773/2023 M/s Maa Narmada Stone Enterprises, Authorized Person, Shri Arun Kumar Agrawal, 26, Commercial Housing Board Colony, District-Katni (MP)-484660 Prior Environment Clearance for Tala Stone Quarry in an area of 1.530 ha. (26,296 Cum per annum) (Khasra No. 191 Private) Village-Tala, Tehsil-Chandia, District-Umaria (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 191 Private) Village-Tala, Tehsil-Chandia, District-Umaria (MP) 1.530 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 07/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री अरूण कुमार अग्रवाल (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) का एकल-प्रमाण पत्र कमांक 2259 दिनांक 23/11/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान निजी भूमि पर आवंटित है, जिसके पूर्वी दिशा में 140 मीटर पर पक्का रोड़ तथा उत्तर दिशा में 80 मीटर पर पक्का रोड़ है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उत्तर दिशा में पक्के रोड़ के कारण 20 मीटर का सेटबैक प्रस्तुतीकरण में छोड़ा गया गया है। इसी प्रकार आवंटित खनन् क्षेत्र के उत्तर—पश्चिम में 60 मीटर की दूरी पर तालाब है, जिस हेतु परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि तालाब के कारण 40 मीटर का सेटबैक प्रस्तुतीकरण में छोड़ा गया गया है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि सेटबैक छोड़ने के कारण लगभग 01.00 हे. क्षेत्र में खनन् किया जावेगा जो स्वीकृत क्षमता 26,296 घनमीटर / वर्ष हेतु उपयुक्त है । उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज क0. 68 एंव सरल क0. 11 पर दर्ज है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि एकल प्रमाण पत्र क्रमांक 2259 दिनांक 23/11/21 अनुसार आवेदित स्थल बॉधवगढ़ टाईगर रिजर्व की कोर सीमा से 2.80 किलोमीटर की दूरी पर है । सिमिति ने पाया कि बॉधवगढ़ टाईगर रिजर्व का ईको सेसेटिव जोन 2.0 किलोमीटर घोषित है । परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया कि उनके द्वारा कार्यालय क्षेत्र संचालक, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, उमरिया म. प्र. ने पत्र क्रमांक 1176 दिनांक 24/02/23 के द्वारा सूचित किया है कि आवेदित स्थल जीपीएस रीडिंग अनुसार उक्त स्थल बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की कोर सीमा से 6.703 कि.मी. एवं बफर/ईको सेंसेटिव जोन से 2.178 कि.मी. पर स्थित होना मानचित्र में दर्शित है । सिमिति का सुझाव है कि वन सीमा की ओर गेम प्रूफ चेनलिंक फेसिंग की जाये । परियोजना प्रस्तावक ने यह भी अवगत कराया कि बांधवगढ टाइगर रिजर्व का ईको सेंसेटिव जोन की सीमा 2 किलोमीटर तक है, अतः आंवटित खनन

स्थल आवंटित ईको सेंसेटिव सीमा से बाहर है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्ती एवं स्टेण्डर्ड शर्ती संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन 26,296 मी³ प्रति वर्ष ।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 13.88 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 05.97 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

	सी. ई. आर. गतिविधि				
क.	गतिविधि	उपकरण सामग्री	कंपनी	संख्या	राशि
	गांव ताला के प्राथमिक विद्यालय में कंप्यूटर का वितरण किया जावेगा	Computer	HP/DELL	01	30,000/-
	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्राम ताला में स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकर्णो का वितरण किया जावेगा		Medonics	01	50,000
		Radiant Warmer	BLT Monitoring Company	01	35,000
		Refrigerator	LG	01	15,000
		Wheel Chair -3 Stretcher - 2	-	08	30,000
	•		योग		1,60,000/-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1840 वृक्षों का वृक्षारोपण :--

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
1.	बैरियर जोन	सागौन, काला सिरस, नीम खमेर,एवं करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	1000

2.	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	काला सिरस, नीम, शीशम (सिस्सू), कंरज एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय । ट्री–गार्ड के साथ।	150
3.	ताला स्कूल, पंचायत एवं आगनवाडी के प्रांगण में	नीम कदम, पीपल, करंज एवं अशोक।	110
4.	ताला ग्राम वासियों मे वितरण हेतु	जामुन, मुनगा, कटहल नीबू, महुआ अमरूद नीम एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया।	580
		योग	1840

16. Case No 9781/2023 Shri Jat Hameed S/o Shri Jat Musa, R/o Village-Bhanni, District-Seoni (MP)-480661, Prior Environment Clearance for Bhanni Stone Quarry in an area of 3.440 ha. (45129 Cum per annum) (Khasra No. 694/2/Kha, 695/1, 694/3/ Kha) Village-Bhanni, Tehsil-Vyohari, District-Shahdol (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 694/2/Kha, 695/1, 694/3/ Kha) Village-Bhanni, Tehsil-Vyohari, District-Shahdol (MP) 3.440 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 07/04/23 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री अंशुमन सिंह और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री विजय कुमार मिश्रा, मेसर्स जियोग्रीन इंवायरो हाऊस, प्रा. लि. लखनऊ (उ.प्र) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) का एकल—प्रमाण पत्र क्रमांक 121 दिनांक 17/03/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान निजी भूमि पर आवंटित है तथा आवंटित क्षेत्र बीच से खुदा हुआ है जिसका विवरण खनन् योजना में दर्ज नहीं है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनको खदान् 21/5/20 को स्वीकृत हुई तथा पिट पुराना है जो वर्ष 2018 से पूर्व का है। उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज क0. 24 एंव सरल क0. 131 पर दर्ज है। आवंटित क्षेत्र चारों ओर से आबादी से घरा हुआ है, जिसमें आबादी दक्षिण—पश्चिम दिशा में 45 मीटर, दक्षिण दिशा में 85 मीटर एवं पूर्व दिशा में 55 मीटर पर है। अगर एनजीटी के प्रकरण क्रमांक ओए 304/19 में पारित आदेश दिनांक 21/07/20 के अनुसार 200 मीटर का नॉन माईनिंग जोन छोड़ा जाता है तो उत्खनन् योग्य क्षेत्र नहीं बचता है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस प्रकरण में खनन् के दौरान विस्फोटक का उपयोग नहीं किया जायेगा तथा अनुमोदित खनन् योजना अनुसार खनन् कार्य रॉक ब्रेकर

से किया जायेगा अतः आबादी से 100 मीटर का सेट बेक छोडना उचित होगा । अतः प्रस्तुतीकरण उपरांत समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :

- 1. आवंटित क्षेत्र बीच से खुदा हुआ है जिसका विवरण खनन् योजना में दर्ज नहीं है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनको खदान् 21/5/20 को स्वीकृत हुई तथा पिट पुराना है जो वर्ष 2018 से पूर्व का है के संदर्भ में प्रमाणिक जानकारी।
- 2. आबादी के कारण (खनन् योजना अनुसार खनन् कार्य रॉक ब्रेकर के माध्यम से खनन्) 100 मीटर का सेट बेक छोडते हुए पुनरीक्षित सरफेस मेप ।
- 3. आवंटित खनन् क्षेत्र में कई पेड़ लगे है अतः उनकी इंवेट्री तथा समिति द्वारा सुझाए अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।

17. Case No 9775/2023 Smt. Sunita Gurjar, Owner, R/o 49, Ratanapuri, District-Ratlam (MP)-457001, Prior Environment Clearance for Rampuriya Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (19380 Cum per annum) (Khasra No. 144/13 Govt.) Village- Rampuriya, Tehsil-Ratlam, District-Ratlam (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 144/13 Govt.) Village- Rampuriya, Tehsil-Ratlam, District-Ratlam (MP) 2.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 07/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमती सुनीता गुर्जर (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, (उ.प्र.) उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) का एकल—प्रमाण पत्र क्रमांक 104 दिनांक 13/01/23 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान खदान शासकीय भूमि पर आवंटित है, जिसके पूर्व दिशा में 60 मीटर तथा दक्षिण दिशा में 105 मीटर पर मौसमी नाला है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पूर्व दिशा में 40 मीटर का सेट बेक प्रस्तुतीकरण में छोड़ा गया है तथा संरक्षण हेतु गारलेन ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक प्रस्तावित किए है । कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा ने पत्र क्रमांक 104 दिनांक 13/01/23 के द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त उत्खनिपट्टा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल नहीं है। आगामी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित किया जावेगा । चूिक नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान के विवरण दर्ज नही है अतः अनुमोदित खनन् योजना में दिये गये अक्षांश—देशांस के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघाँत

निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 — जारी पत्र कमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन 19,380 मी³ प्रति वर्ष ।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 16.65 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 04.14 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर.	राशि (रू.में)
ग्राम रामपुरिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मेंडिकल ऑफिसर के सलाह के अनुसार सामग्री का वितरण किया जावेगा ।	60,000 / -

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :--

कं.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
1.	बैरियर जोन	शीशम, नीम, पीपल,जंगल जलेबी, बरगद, खमेर, चिरोल, सीताफल, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	600
2.	परिवहन मार्ग के दोनों तरफ (पेड़ों की न्यूतम ऊंचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, सेमल, चिरौल, करंज, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ,	200
3.	रामपुरिया ग्रामवासियों में वितरण हेत	बेल, इमली, आंवला, कटहल, मुनंगा, आम, रुद्राक्ष, सीताअशोक, अमरूद, इत्यादि ।	1580
4.	शासकीय विद्यायल में	कदंब, अमलतास, पुत्रंजीवा, अशोक, नीम, मोलश्री, गुलमोहर।	20
		योग	2400

18. Case No 9761/2023 Shri Ashish Pathak, Leessee, R/o Ward No. 6, Pathak Nivas, Dhinrola Mohalla, Nagar Parishad Satai Lakhanguwan Satai Bijawar District-Chhatarpur (MP)-471408, Prior Environment Clearance for Pipariya Ghan Crusher Stone (Gitti and M-Sand Quarry) in an area of 4.00 ha. (Stone-19788.5 Cum per

<u>annum & M-Sand-82278.5 Cum per annum) (Khasra No. 5(S) (Govt.) , Village-Pipariya Ghan, Tehsil-Batiyagarh, District-Damoh (MP)</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 5(S) (Govt.), Village-Pipariya Ghan, Tehsil-Batiyagarh, District-Damoh (MP) 4.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 07/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री आशीष पाठक (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, (उ.प्र.) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) का एकल—प्रमाण पत्र क्रमांक 96 दिनांक 03/02/23 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान शासकीय भूमि पर आवंटित जिसके उत्तरी भाग में ट्रेच खुदे है तथा दक्षिण-पूर्व दिशा में 80 मीटर पर कच्चा रोड है । इसी प्रकार आवंटित खनन् क्षेत्र के पूर्व दिशा में 35 मीटर की दूरी पर कोई सिविल स्ट्रक्चर बना है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान की पूर्व दिशा में यह मौसमी नाला है जिसमें पानी रोकने हेतु किसानो द्वारा स्ट्रक्चर बनाया गया है तथा इस कारण मौसमी नाले से 15 मीटर का सेट बेक प्रस्तुतीकरण में छोड़ा गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के 500 मीटर की परिधि के अंदर पूर्व दिशा में तथा पश्चिम दिशा में खदान कार्यरत दिख रही है जबकि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) का एकल-प्रमाण पत्र क्रमांक 96 दिनांक 03/02/23 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य कोई खदान स्वीकृत / संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा पुनः खनिज अधिकारी से जानकारी प्राप्त की गई है जिन्होने पत्र क्रमांक 238 दिनांक 06/04/23 के माध्यम से सूचित किया है कि कोई अन्य खदान 500 मीटर के दायरे में स्वीकृत नहीं है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दमोह ने पत्र क्रमांक 96 दिनांक 03 / 02 / 23 के द्वारा सचित किया है कि उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल की जायेगी । चुकि नवीन जिलां सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान के विवरण दर्ज नहीं है अतः अनुमोदित खनन योजना में दिये गये अक्षांश-देशांस के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29 / 07 / 22 (प्रकरण में 9261 / 2022 - जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतू सिया को अनुशंसित किया जाये । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन 19,788.5 मी³ प्रति वर्ष एवं एम—सेंड—82,278.5 मी³ प्रति वर्ष ।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 25.12 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू. 04.36 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर.	राशि (रू.में)
शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल पिपरिया घान मे 3 कम्प्युटर, कम्प्युटर, टेबल एवं प्रिन्टर के साथ	1,00,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :--

कं.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
1.	बैरियर जोन	सिस्सू, आवंला, चिरोल, नीम, सफेद कस्टार जंगल जलेबी, करंज, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	2000
2.	परिवहन मार्ग के दोनों तरफ (पेड़ों की न्यूतम ऊंचाई 01 मीटर)	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, पीपल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री गार्ड के साथ	200
3.	ग्रामवासियों मे वितरण हेतु	आवंला, नीबू, बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	2000
4.	शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल पिपरिया घान की बाउंड्री वॉल की तरफ एवं ग्राम पंचायत भवन	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, पीपल, पुत्रंजीवा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री गार्ड के साथ	775
5.	शासकीय पशु स्वास्थ्य केन्द्र पिपरिया घान की बाउंड्री वॉल की तरफ	कदम्ब, कचनार,, नीम, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री गार्ड के साथ	25
		योग	4800

(चंद्र मोहन ठाकुर) सदस्य सचिव (डॉ. पी.सी. दुबे) अध्यक्ष

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

- 1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
- 2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
- 4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
- 6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
- 7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
- 8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
- 9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
- 10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM
- 11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
- 12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
- 13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
- 15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
- 16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
- 17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
- 18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
- 19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
- 20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
- 21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.

- 22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- 23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
- 24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
- 25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
- 26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- 27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
- 28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
- 29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
 - f. Plantation and CER activities.
- 30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
- 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- 34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
- 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

- 1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
- 2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
- 4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
- 5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
- 7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
- 8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
- 9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
- 10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
- 11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
- 12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
- 13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
- 14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
- 15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
- 16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
- 17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
- 18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.

- 19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
- 21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
- 22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
- 23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
- 24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
- 25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- 26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
- 27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- 28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
- 29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - g. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - j. Minable Potential of sand mine.
 - k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - . Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
- 30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
 - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
 - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
 - vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
 - vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
- 31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from

- DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- 34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
- 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- 36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

- 1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
- 2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
- 3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
- 4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
- 6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
- 7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
- 9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
- 10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
- 11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
- 12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
- 13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
- 14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
- 15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets

- (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
- 16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
- 18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
- 19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
- 20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
- 21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
- 22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- 23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
- 24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- 25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
- 26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - m. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - p. Minable Potential of sand mine.
 - q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - r. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
- 27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
- 30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and

- fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- 33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
- 34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- 35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure-'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

- 1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
- 2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
- 3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, waterbodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
- 4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
- 5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
- 6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
- 7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
- 8. All documents should be properly indexed, page numbered.
- 9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
- 10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
- 11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
- 12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
- 13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
- 14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
- 15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
- 16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall

- be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
- 17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
- 18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
- 19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
- 20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
- 21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
- 22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
- 23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
- 24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
- 25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
- 26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
- 27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
- 28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
- 29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna.
- 30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
- 31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
- 32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
- 33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carriedout in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and dicussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three yaears and details of total land holding of the PP in that district.
- 34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
- 35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:

- ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
- ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
- ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
- PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
- 36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
 - Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
 - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 - Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
 - Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
 - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
 - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA, following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

- 37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
- 38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
- 39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
- 40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेत् निर्देश :-

- नोट 1:- स्थल विशेष हेत् प्रजातियों के चयन में स्थानीय मुदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
- नोट 2:- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।
- नोट 3:- पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु मिल्चंग जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
- नोट 4:— परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ो के चारो ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणों के चारों ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जाये ।
- नोट 5:- भू—क्षरण स्थल पाये जाने पर भू—संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चेनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए।
- नोट 6:- रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन / नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 — 03.0 फिट	03-05 से. मी.
2.	रोड़ साईड / स्कूल / ऑगनवाडी	03.5 — 05.5 फिट	05—10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई—गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में)		
	तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई / जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंकुरण पश्चात् ४ से ६ पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

नोट - 8 :- रेत के प्रकरणों में (पौधो की ऊँचाई न्यूनतम् 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास प्रजातियाँ।	,
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम् दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट 9 :- छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम् 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिडकाव ।

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घांस प्रजातियाँ, खस घास अगेव	
	आदि)	में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थाानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीटर
3	चौथी से पॉचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में
	_	पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर